न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—संजय गोयल — आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 450/2012

1. पुरुषोत्तम } पिसरान गुलाबसिंह
2. मुकेश }
3. रामरती पुत्री स्व. श्री गुलाबसिंह
4. श्रीमती तीतो बेवा स्व. श्री गुलाबसिंह
5. कमलेश बेवा स्व. श्री अश्वीन पुत्र स्व. श्री गुलाबसिंह
   जाति जाट निवासी जघीना तह. व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 07—01—2020

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अंतर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 7475/12, 7476/41 किता 2 रकबा 53 एयर तह0 भरतपुर में स्थित है, जिसके गत खसरा नंबरान 385 रकबा 10 बिस्वा, 384 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम जघीना नंबर 2 से तहसील भरतपुर में है तथा उक्त आराजी में वादीगण के पिता स्व. श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री प्यारेलाल उक्त आराजी खसरा नंबरान गत 385 रकबा 10 बिस्वा, 384 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके जघीना नंबर 2 हाल खसरा नंबरान 7475/12, 7476/41 किता 2 रकबा 53 एयर तहसील भरतपुर पर काबिज होकर करीब 100 साल से

काश्त करते चले आ रहे थे। श्री गुलाबसिंह की मृत्यु के बाद से वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं, परंतु उक्त आराजी खसरा नंबरान को राजस्व विभाग ने राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण खातेदार दर्ज होने चाहिए।

आराजी खसरा नंबर 7475/12, 7476/41 किता 2 रकबा 53 एयर तहसील भरतपुर की वादीगण नाम गैरखातेदार से खातेदार दर्ज करवाने के लिए दिनांक 23.05.2012 को तहसीलदार महोदय भरतपुर को एक रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र भेजा उसके बाद भी तहसीलदार महोदय भरतपुर ने वादीगण को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज नहीं किया है।

हाल आराजी खसरा 7475/12, 7476/41 किता 2 रकबा 53 एयर जघीना 3 भरतपुर में स्थित है। वादीगण को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज करने बावत वादीगण ने अपने वकील साहब से एक लीगल नोटिस प्रतिवादीगण एक जिला कलक्टर महोदय भरतपुर व दो तहसीलदार महोदय भरतपुर को रजि0 दि0 09.07.2012 को भेजा, परंतु नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने कोई जवाब नहीं दिया व वादीगण को खातेदार भी राजस्व रिकार्ड में आज तक दर्ज नहीं किया है, लेकिन वादीगण अपने को राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण को गत आराजी खसरा नंबर 385 रकबा 10 बिस्वा, 384 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जघीना नंबर 2 हाल आराजी खसरा नं0 7475/12, 7476/0.41 किता 2 रकबा 53 एयर जघीना 3 तह. व जिला भरतपुर पर गैरखातेदार से राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आए, जिन्हें दावा प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए। दिनांक 30.10.2015 व दिनांक 18.12.2015 को अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 24.02.2016 को इनका जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में स्वयं वादी पुरुषोत्तम द्वारा अपना शपथ पत्र PW1 तथा गवाह किशन PW2 गवाह राजवीर PW3 के शपथ पत्र पेश किए गए हैं। दस्तावेजी

साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2068–2071, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2021, प्रदर्श–4 भू–प्रबंध विभाग पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी से कोई जिरह नहीं की गई है। दिनांक 30.01.2019 को साक्ष्यवादी बंद की गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश किए गए दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर है कि हाल खसरा नंबर 7475 व 7476 वाके ग्राम जघीना नं0 3 तहसील भरतपुर पर वादीगण गैर खातेदार के रूप में दर्ज है जो कि साविक खसरा नंबर 384 व 385 वाके ग्राम जघीना नं0 2 निर्मित हुए हैं। साविक जमाबंदी संवत 2021 के अनुसार यह स्पष्ट है कि उक्त साविक खसरा नम्बरान पर शिवसिंह, हिम्मत सिंह व गुलाब सिंह पिसरान प्यारेलाल गैर खातेदार साल 5 के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जिसका तात्पर्य है कि उक्त इन्द्राज संवत 2016 से बदस्तूर जारी हैं परंतु पत्रावली पर उपलब्ध खसरा भू–प्रबंध विभाग के अनुसार सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के आदेश दिनांक 31.11.1983 के द्वारा साविक खसरा नंबरान 384 व 385 की समस्त आराजी पर केवल गुलाब सिंह के नाम का अंकन स्वीकार किया जाना स्पष्ट रूप से दर्शित है। उक्त इन्द्राज इस तथ्य से भी बखूबी प्रमाणित है कि जमाबंदी संवत 2068–2071 में हाल खसरा नंबर 7475, 7476 पर गुलाब सिंह के वारिसान (वादीगण) के नाम दर्ज हैं।

इस प्रकार समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य निकलकर आता है कि आराजी पर संवत 2016 से ताहाल तक वादीगण का कब्जा काश्त है, जिसको लगभग 60 वर्ष की अवधि से भी अधिक समय हो चुका है। वादीगण द्वारा कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए, केवल खातेदारी घोषणा किया जाना शेष है। वादीगण वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के गैर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाके ग्राम जघीना नं0 3 तहसील व जिला भरतपुर में स्थित हाल खसरा नंबर 7475/0.12, 7476/0.41 किता 2 रकबा 0.53 हैक्टेयर पर गैर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वादग्रस्त आराजी पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है या नहीं। यदि आराजी पैराफेरी क्षेत्र में है तो नियमानुसार कार्यवाही करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official